सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 30/17

देवीदास पुत्र हजारी राम जाति ओड राजपूत निवासी 2 एफ खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,
2. पोखरदास पुत्र हजारी राम जाति ओड राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्ध इंतकाल सं0 539 दिनांक 15–10–13

उपस्थित :

1. श्री अशोक तुली, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2 रेस्पोडेन्ट सं0 2 स्वंय
3 राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं0 1 स्टेट

आदेश **दिनांक 29–06–17**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता हजारी राम के नाम से चक 1 जे बड़ा खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 69/62 मुरब्बा नं0 19 में 2–973 है0 भूमि खातेदारी दर्ज थी तथा अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में इस भूमि की वसीयत अपीलांट, रेस्पोडेन्ट सं0 2 व दो अन्यों के नाम से करते हुए दिनांक 5–3–2000 को वसीयत के अनुसार अपीलांट को मु0 नं0 19 के कि0 लं0 20 की 1 बीघा, कि0 नं0 11 की 0.11 बीघा, कि0 नं0 21 की 0.18 बीघा, कि0 नं0 25 की 5¾ बिस्वा, कि0 नं0 16 की 0.04 बिस्वा कुल 2–15¾ बीघा दिया गया। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पो0 सं0 2 व अन्य के द्वारा इंतकाल करवाया गया था मगर अपीलांट के नाम से मु0 नं0 19 के किला नं0 25 में 5¾ बिस्वा के स्थान पर 1½ बिस्वा ही दर्ज किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई के लिए विधिवत् नोटिस नहीं दिया गया है और न सुना गया है। रेस्पो0 सं0 2 के नाम से वसीयत में मुरब्बा नं0 19 के कि0 नं0 25 में 9¾ दर्ज किया गया है जबकि अपीलांट के नाम से 5¾ बिस्वा दर्ज होते हुए इंतकाल में केवल मात्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

0.022 है0 केवल मात्र 1½ बिस्वा ही दर्ज किया गया है जबकि अपीलांट के पिता के नाम कि0 नं0 25 में रकबा अधिक था। पटवारी हल्का द्वारा भूमि का मिलान जमाबंदी से नहीं किया गया है। गिरदावर हल्का द्वारा भी मिलान सही नहीं किया गया है। जमाबंदी में किला नं0 25 का रकबा 0.177 है0 दर्ज किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम से 0.123 है0 किया गया है व अपीलांट के नाम से 0.022 है0 का किया गया है जिसका योग करने पर 0. 145 है0 बनता है जबकि अपीलांट के पिता के नाम से जमाबंदी में मु0 नं0 19 का किला नं0 25 का 0.177 अंकित है। अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व नियमों की पालना नहीं की गई है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट के रकबा किला नं0 25 की हद तक निरस्त करते हुए अपीलांट के नाम से 5¾ बिस्वा का इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि वसीयतकर्ता हजारी राम द्वारा वसीयत के माध्यम से अपीलांट, रेस्पोडेन्ट सं0 2 व दो अन्य भाईयों कुल चार भाईयों के मध्य बराबर–2 हिस्से में भूमि की वसीयत की गई थी, लेकिन अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करते समय अपीलांट के हिस्से में 0.743 है0 के स्थान पर 0.692 है0 दर्ज की गई है। रेस्पो0 सं0 2 के नाम से वसीयत में मुरब्बा नं0 19 के कि0 नं0 25 में 9¾ दर्ज किया गया है जबकि अपीलांट के नाम से पौने छः बिस्वा दर्ज होते हुए भी अपीलाधीन इंतकाल में केवल मात्र 0.022 है0 यानि डेढ बिस्वा ही दर्ज किया गया है। जमाबंदी से रकबा का मिलान नहीं किया गया है। जमाबंदी में किला नं0 25 का रकबा 0.177 है0 दर्ज किया हुआ है। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व रकबा की विधिवत् जॉच वसीयत से नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 दिनांक 12–4–17 की पेशी पर स्वंय उपस्थित हुआ था। उसके पश्चातवर्ती तारीखों पर उपस्थित नहीं हुआ है, न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 539 ग्राम 1 जे बड़ा पटवार हल्का खाटलबाना वसीयतकर्ता हजारी राम के देहान्त के बाद बंद वसीयत को खुलवाने पर, वसीयत के आधार पर इंतकाल खोला जाकर दिनांक 15–10–2013 को स्वीकृत किया गया है। वसीयतकर्ता हजारी राम के चार पुत्र हैं जिनमें अपीलांट देवीदास, रेस्पोडेन्ट सं0 2 पोखरदास एवं दो अन्य कमशः हाकमचन्द एवं लालचन्द हैं। इंतकाल के कॉलम सं0 9 में अंकित किया है कि शेष खाता बदस्तुर हजारी राम मु0 नं0 19 किला नं0 16 की 0. 20 है0 एवं कि0 नं0 25 की 0.32 है0 कुल 0.52 है0 है। वसीयत की प्रति जो

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पत्रावली में उपलब्ध है, के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट को वसीयतकर्ता हजारी राम द्वारा मु0 नं0 19 के कि0 नं0 20 की 1 बीघा, कि0 नं0 11 की 0.11 बीघा, कि0 नं0 21 की 0.18 बीघा, कि0 नं0 25 की 5¾ बिस्वा, किला नं0 16 की 0.04 बीघा कुल 2 बीघा 18¾ बिस्वा भूमि वसीयत के माध्यम से दी गई है जबकि अपीलाधीन इंतकाल में किला नं0 25 की 0.22 है0 यानि 1,½ बिस्वा भूमि अंकित की गई है। वसीयत में मुरब्बा नं0 19 के किला नं0 16 व 25 की कुल 0.052 है0 खाते को बदस्तुर रखने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की अनदेखी कर इंतकाल स्वीकृत किया गया है। भूमि का मिलान न तो वसीयत से किया गया है और न ही जमाबंदी से किया गया है। जमाबंदी में किला नं0 25 का रकबा 0.177 है0 दर्ज किया हुआ है। वसीयतकर्ता के द्वारा धारित भूमि अपीलाधीन इंतकाल के अनुसार कुल 2.973 है0 रकबा है, जो उनके द्वारा चारों पुत्रों के पक्ष में वसीयतानुसार चार बराबर भागों में बॉटने पर प्रत्येक के हिस्से में 0.743 है0 रकबा होना चाहिये जबकि अपीलांट के हिस्से में 0.692 है0 रकबा दर्ज किया गया है। शेष रकबा जो इंतकाल के कॉलम सं0 9 में 0.52 है0 अंकित है, को अपीलांट के हिस्से में शामिल करने पर रकबा 0.744 है0 पूर्ण हो जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व रकबा की जॉच न कर विधिक त्रुटि की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इंतकाल सं0 539 वाके चक 1 जे बड़ा पटवार हल्का खाटलबाना, नायब तहसीलदार, हिन्दूमलकोट की स्वीकृति दिनांक 15–10–13 को गैरकानूनी तौर पर गलत हिस्से दर्ज कर स्वीकृत होने के कारण निरस्त किया जाता है। उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट देवी दास के हिस्से में वसीयत के मुताबिक आने वाली किला नं0 16 की .020 है0, किला नं0 25 की .032 है0 कुल .052 है0 भूमि पूर्व में दर्ज भूमि में और दर्ज करते हुए शेष तीन सह खातेदारों के यथावत् इन्द्राजात सहित नये सिरे से इंतकाल खोला जाकर बाद तस्दीक स्वीकृत किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित की जावे।

आदेश आज दिनांक 29–6–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।